

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

क्र. नम्बर 398/18 तारीख रज. 15/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का जोडेडा बनाम
 श्री कजोडी पुत्र सुन्दर जाति कुजेट निवासी सिकन्दरपुर तहसील
दौसा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 12/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम मेधवा हमारे सम्क्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री कजोडी ने ग्राम सिकन्दरपुर को भूमि ख.न. 889 रकबा 0.25 किस्म चरागाह फसल रबि / खरीफ संवत् 20 74 में अराजी कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमम योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 889 रकबा 0.25 किस्म चरागाह वाले ग्राम सिकन्दरपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 5.00 का 50 गुणा 250 रु. शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल अरबी को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

जयराज
 आयुक्त तहसीलदार
 महवा (दौसा)
 तहसीलदार महवा

रजिस्ट्रार महवा
 वर्ष 2017-18
 की राशि 250 रु.
 की जमा 12/3/18
 दिनांक : 12/3/18
 तहसील-महवा